



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092025-266208
CG-DL-E-18092025-266208

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947

No. 599]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

संख्या 39/2025-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 643(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 404 के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर “18%” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और

अधिसूचना संख्या 31/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 30 मई, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 355 (अ), दिनांक 30 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 39/2025-Customs

G.S.R. 643(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 404, for the entry in column (5), the entry “18%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 31/2025-Customs, dated the 30th May, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 355(E), dated the 30th May, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

संख्या 37/2025-सीमाशुल्क

सा.का.नि.644(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“24	88, 8536	फ्लाइट मोशन सिमुलेटर और उसके हिस्से
25	88, 8536	टारगेट मोशन सिमुलेटर और उसके हिस्से

26	कोई भी अध्याय	एचएसीएफएस के पुर्जे, उप-समुच्चय
27	84, 85	लो नॉइज़ एम्पलीफायर (हर्मेटिक सील किया हुआ), वेंट गाइड असेंबली-रिटर्न, वेंट गाइडेड असेंबली-सप्लाइ, एमआरएसएएम सिस्टम के लिए वेंट गाइड असेंबली-एनबीसी
28	84, 85, 87, 90, 93	आईएडब्ल्यूडीएस के पुर्जे और उप-समुच्चय
29	88	सैन्य परिवहन विमान (सी-140, सी-295 एमडब्ल्यू)
30	89	डीप सबमर्जेस रेस्क्यू वेसल
31	89	मानव रहित अंडरवाटर वेसल/प्लेटफॉर्म
32	8807	लड़ाकू विमानों के लिए इजेक्शन सीटें
33	8506	ड्रोन और विशेष उपकरणों के लिए उच्च प्रदर्शन वाली बैटरी
34	8525	घटक और सहायक उपकरणों के साथ सॉफ्टवेयर-परिभाषित रेडियो सहित संचार उपकरण
35	9019, 9020	एयर डाइविंग, रीब्रीथर सेट, डाइविंग सिस्टम, घटक और सहायक उपकरण
36	89	नौसेना वायु परिसंपत्तियों के लिए सोनोबॉय
37	93	जहाज से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें
38	93	100 मिमी से अधिक कैलिबर वाले रॉकेट
39	88	सैन्य उपयोग के लिए आरपीए (रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट)
40	कोई भी अध्याय	तोपखाने के हथियार, राइफल, विमान, मिसाइल आदि जैसी वस्तुओं के पुर्जे, उप-समुच्चय, अतिरिक्त पुर्जे, सहायक उपकरण, औजार, परीक्षण उपकरण, साहित्य, सिवाय 12.7मिमी एसआरसीजी, 155मिमी/45 कैलिबर, धनुष, एल-70 गन, 84मिमी आरएल एमके-III, एके-630 नेवल गन, लाइट मशीन गन, एमएजी गन
41	49	उपरोक्त क्र.सं. 1 से 40 पर उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में तकनीकी दस्तावेज

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 को लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2019, को भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 105(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 37/2025-Customs

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3, of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to

do, hereby hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 19/2019- Customs, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 476 (E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, after the Sl.No. 23 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“24	88, 8536	Flight Motion Simulator and its parts
25	88, 8536	Target Motion Simulator and its parts
26	Any Chapter	Parts, sub-assemblies of HACFS
27	84, 85	Low noise amplifier (Hermetic sealed), vent guide assembly- Return vent guided assembly-supply, vent guide assembly- NBC for MRSAM system
28	84, 85, 87, 90, 93	Parts and sub-assemblies of IAWDS
29	88	Military transport aircraft (C-140, C-295 MW)
30	89	Deep submergence rescue vessel
31	89	Unmanned Underwater vessels/platforms
32	8807	Ejection Seats for fighter aircrafts
33	8506	High performance batteries for drones and specialised equipment
34	8525	Communication devices including software defined radios with component and accessories
35	9019, 9020	Air diving, rebreather sets, diving systems, components and accessories
36	89	Sonobuoys for Naval Air Assets
37	93	Ship launched missiles
38	93	Rockets with calibre more than 100 mm
39	88	RPA (Remote Pilot Aircraft) for military use
40	Any Chapter	Parts, sub-assemblies, spares, accessories, tools, testing equipment, literature for goods like artillery weapons, rifles, aircrafts, missiles, etc. except for 12.7mm SRCG, 155mm/45 Cal, Dhanush, L-70 Gun, 84mm RL Mk-III, AK-630 Naval Guns, Light Machine Guns, MAG Gun
41	49	Technical documentation in respect of Goods mentioned at Sl.Nos. 1 to 40 above”

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 19/2019-Customs, dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number GSR 476 (E), dated the 6th July, 2019 and last amended by notification No. 02/2025-Customs dated 16th January, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number GSR 105(E), dated the 1st February, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

संख्या 38/2025-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 645(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 9 मई, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 9 मई, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, आरंभिक पैराग्राफ में, "सम्पूर्ण सीमाशुल्क से " शब्दों के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

"और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के तहत उस पर लगने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से"।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 को लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 29/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 9 मई, 2025, को भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 9 मई, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

No. 38/2025-Customs

G.S.R. 645(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 29/2025-Customs, dated the 9th May, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 302 (E), dated the 9th May, 2025, namely:-

In the said notification, in the opening paragraph, after the words "specified in the said Schedule", the following shall be inserted, namely:-

"and from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act".

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

[F. No. CBIC-190341/188/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 29/2025-Customs, dated the 9th May, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number GSR 302 (E), dated the 9th May, 2025.